

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ-2172/2018/

दिनांक :-

-:: आदेश ::-

श्री मदनमोहन शर्मा, वरिष्ठ सहायक, राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी (करौली) को निदेशालय के आदेश क्रमांक 530 दिनांक 26.03.2018 द्वारा शिरोपताकी तिथि दिनांक 22.03.2018 से राज्यसेवा से निलम्बित किया गया था, को निलम्बन का 6 माह पूर्ण होने की तिथि से राजस्थान सेवा नियम-53 (1) (क) (1) में उपलब्ध प्रावधानानुसार पूर्व में प्राप्त कर रहे निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप श्री मदनमोहन शर्मा, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित) को अब वेतन का 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

H.S.L

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज० जयपुर

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ-2172/2018/1910

दिनांक :- 26-11-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर को उनके पत्रांक 4785 दिनांक 11.10.2018 के क्रम में।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, हिण्डौन सिटी (करौली)।
3. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
4. श्री मदनमोहन शर्मा, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित) को द्वारा क्रम संख्या-01 के।
5. आदेश/संकेत पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज० जयपुर